छगनलाल बनाम सरकार

07-12-2023

अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से आदेश दिनांक 25–06–1983 को चुनौती देते हुए अन्यत्र भूमि आवंटन की मांग की गई है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को चक 23 डीओबीबी में भूमि आवंटित की गई। कालान्तर में अपीलांट् का उक्त आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व अपीलांट् द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट् की अपील दिनांक 18–04–2002 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा पुनः इसी आशय के बाबत् अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की जा रही है, जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् जारी आदेश के संबंध में पूर्व में ही सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलांट् किसी प्रकार का कोई अनुतोष पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते